दिनांक 28.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 29/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति तृतीय चरण में चलाये जा रहे अभियानों में की गयी कार्यवाही

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को मिशन शक्ति के तीसरे चरण में महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों के प्रभावी रोकथाम एवं विधिक संरक्षण दिये जाने के परिपेक्ष्य में अभियान चलाकर कार्यवाही के दिये गये निर्देश के क्रम में विभिन्न अभियानों में की गयी कार्यवाही निम्नवत हैः–

- दिनांक 21.08.2021 से दिनांक 15.09.2021 तक मिशन शक्ति तृतीय चरण के दौरान विगत वर्षों में महिला सम्बन्धी अपराधों से सम्बन्धित वॉछित 2896 अभियुक्तों में से 2025 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं प्रभावी कार्यवाही के कारण 535 अभियुक्तों द्वारा अदालत में समर्पण किया गया। शेष 336 वॉछित अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही की गयी।
- दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 01.09.2021 तक मिशन शक्ति तृतीय चरण के दौरान डी0एल0एस0ए (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी) एवं अन्य विभागीय समितियों द्वारा अभियान के अन्तर्गत 81 महिला जेलों, 78 नारी निकेतनों, 47 नारी संरक्षण गृह एवं 192 वन स्टाप सेन्टरों का निरीक्षण कर 3,150 महिलाओं तथा बच्चों/बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की सोने की चैन**
- **लूटे गये कुण्डल ब्रिकी के 02 हजार 700 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2021 को थाना हापुड नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्वार्टर ठण्डी सड़क माल गोदाम के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शराफत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट की सोने की चैन, लूटे गये कुण्डल ब्रिकी के 02 हजार 700 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 27.09.2021 को थाना हापुड नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पर मु0अ0सं0 937/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शराफत निवासी पुराना बाजार गद्दा पाड़ा थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

बरामदगी

1—लूट की सोने की चैन।

2—लूटे गये कुण्डल ब्रिकी के 02 हजार 700 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 02 आटो वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27/28.09.2021 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीटी तिराहा ठठी की पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्तों 1—मानसिंह उर्फ राजा 2—सोनवीर उर्फ सोनू 3—रामवीर उर्फ कल्लू 4—अभिषेक उर्फ ऋषि उर्फ किल्ला 5—आकाश को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 02 आटो वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात लूटेरों/चोरों द्वारा लूट/चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मानसिंह उर्फ राजा निवासी राजीवनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

2–सोनवीर उर्फ सोनू निवासी साफर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

3–रामवीर उर्फ कल्लू निवासी साफर थाना अजीतमल, जनपद औरैया।

4–अभिषेक उर्फ ऋषि उर्फ किल्ला निवासी सुजनीपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

5–आकाश निवासी सूर्यनगर सीओ कालोनी थाना अजीतमल, जनपद औरैया।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 02 आटो वाहन।

2– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना शहजादनगर

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 32 लाख रूपये कीमत की चोरी के भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 28 सिक्के चॉदी के, 02 एलईडी, 02 लैपटाप आदि**
- **9000 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 सेन्ट्रोकार**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2021 को थाना शहजादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीरो प्वाइंट मजार के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार 05 शातिर अभियुक्तों 1–रियाज उर्फ सद्दू 2–आमिर 3–मुरसद 4–विशाल 5–गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 32 लाख रूपये कीमत की चोरी के भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण, चोरी के 28 सिक्के चॉदी के, 02 एलईडी, 02 लैपटाप आदि, 9000/–रूपये नगद, चोरी की 01 सेन्ट्रोकार, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा जनपद अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जनपदों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रियाज उर्फ सद्दू निवासी दलपतपुर थाना मुंढा पाण्डेय जनपद मुरादाबाद।

2—आमिर निवासी मोहम्मदनगर थाना मुसाझॉग बदायॅू।

3—मुरसद निवासी अक्का डिलारी थाना मुढा पाण्डेय जनपद मुरादाबाद।

4—विशाल निवासी मोहल्ला मंगलपुरी सराय तरीन थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

5—गौरव निवासी मोहल्ला कैथ वाली मस्जिद थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—लगभग 32 लाख रूपये कीमत की चोरी के भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण।

2— चोरी के 28 सिक्के चॉदी के, 02 एलईडी, 02 लैपटाप आदि।

3— 9000/—रूपये नगद।

4— चोरी की 01 सेन्ट्रोकार।

5— 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस आदि।

जनपद उन्नाव/थाना दही

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 सोने के चैन,**
- **लूट के 05 मोबाइल फोन**
- **01 लैपटाप**
- **02 दो पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2021 को थाना दही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आवास विकास बाईपास पुल के पास चेकिंग के दौरान 05 शातिर अभियुक्तों 1–वैभव 2–गौरव 3–राहुल 4–हरिकिशोर 5–विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 सोने के चैन, लूट के 05 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप, 02 दो पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना दही क्षेत्र में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना दही पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों से बरामद सोने चैन व मोबाइल फोन आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वैभव निवासी अम्बिकापुरम थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

2–गौरव निवासी अम्बिकापुरम थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

3–राहुल निवासी तात्याटोपे नगर थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर।

4–हरिकिशोर निवासी भिखरीपुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव।श

5–विशाल निवासी आजादनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 02 सोने के चैन।,

2–लूट के 05 मोबाइल फोन।

3– 01 लैपटाप।

4– 02 दो पहिया वाहन।

5– 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 टेम्पू**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.09.2021 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चैरी काउन्टी बैरियर के पास चेकिंग के दौरान टेम्पू सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुकेश उर्फ राजा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 टेम्पू, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिसरख पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश उर्फ राजा निवासी चांदोक थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, हालपता सुदामापुरी लाल क्वार्टर गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी का 01 टेम्पू।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना कमरौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 28.09.2021 को थाना कमरौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिन्दुरवा रोड रेलवे क्रासिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0:140/2020 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कमरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल निवासी दादरा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>जनपद बस्ती/थाना कोतवाली</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.09.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानी टंकी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विनायक उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पुरानी बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विनायक उर्फ पंकज निवासी सकरदहा थाना हरैया जनपद बस्ती।

जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2021 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना चिलकाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सलमान 2–बाबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारपुर।

2–बाबर निवासी फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मढ तिराहे से 02 अभियुक्तों 1–शाहआलम उर्फ शालम 2–दिलशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शाहआलम उर्फ शालम निवासी चक हरेटी थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर।

2–दिलशाद निवासी जमालपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रौजा

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 02 किलो 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2021 की रात्रि थाना रौजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुभाष चौक के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–शाहिद उर्फ मल्लू 2–प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 02 किलो 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना रौजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शाहिद उर्फ मल्लू निवासी कोयना गोटिया थाना भमोरा जनपद बरेली।

2–प्रदीप कुमार निवासी देवचरा थाना भमोरा जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 02 किलो 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम आदि।

➢ **<u>जनपद बिजनौर/थाना स्योहारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त सुन्दर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

—————